

# छत्तीसगढ़ शासन

## वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-03/2021/10-2  
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/02/2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
छ.ग. अरण्य भवन,  
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,  
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर द्वारा कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 4.043 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।  
2. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।  
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-1ए/115-835/152, दिनांक 20.01.2021।

---000---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशांसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :-

### तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कोरबा	कोरबा	करतला	बरपाली	संरक्षित वन	P1165	794.214	0.5	0.040
2			करतला	बड़मार	संरक्षित वन	P1015	4443.333	0.5	0.222
3			करतला	बेहरचुंवा	संरक्षित वन	P1174	1184.144	0.5	0.059
4			करतला	करतला	संरक्षित वन	P1034	987.752	0.5	0.049
5			करतला	कोई	संरक्षित वन	P995	1693.676	0.5	0.084
6			करतला	कोटमेर	संरक्षित वन	P1014	4189.613	0.5	0.209
7			करतला	केर्वाद्वारी	संरक्षित वन	P1170	2676.030	0.5	0.133
8			करतला	केर्वाद्वारी	संरक्षित वन	P1171	1268.751	0.5	0.063
9			करतला	कलामार	संरक्षित वन	P1142	1935.639	0.5	0.097
10			करतला	पहाड़गांव	संरक्षित वन	P1166	1494.233	0.5	0.075
11			करतला	रामपुर	संरक्षित वन	P1157	3640.086	0.5	0.182
12			करतला	चोरभट्टी	संरक्षित वन	P1149	3010.321	0.5	0.151
13			करतला	नोनबिरा	संरक्षित वन	P1143	715.501	0.5	0.036
14			करतला	नोनबिरा	संरक्षित वन	P1146	3154.849	0.5	0.157
15			करतला	नवापारा	संरक्षित वन	P1151	1095.374	0.5	0.055

क्रमशः 2

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
16	कोरबा	कोरबा	करतला	और्राई	संरक्षित वन	P1169	2036.130	0.5	0.100
17			कुदमुरा	कल्मामार	संरक्षित वन	P1141	614.336	0.5	0.031
18			कुदमुरा	चचिया	संरक्षित वन	P1139	1627.870	0.5	0.081
19			कुदमुरा	चचिया	संरक्षित वन	P1138	2335.917	0.5	0.117
20			कुदमुरा	लबेद	संरक्षित वन	P1177	1952.621	0.5	0.098
संरक्षित वनभूमि का योग-							<b>40850.390</b>	<b>0.5</b>	<b>2.039</b>
21			करतला	बड़मार	नारंगी वन	OA 1447	404.665	0.5	0.031
22			करतला	बड़मार	नारंगी वन	OA 1448	1708.851	0.5	0.085
23			करतला	बड़मार	नारंगी वन	OA 1449	1005.204	0.5	0.050
24			करतला	कथरीमाल	नारंगी वन	OA 1506	147.978	0.5	0.007
25			करतला	करतला	नारंगी वन	OA 1446	2445.420	0.5	0.122
26			करतला	कोटमेर	नारंगी वन	OA 1451	2260.934	0.5	0.113
27			करतला	केर्वाद्वारी	नारंगी वन	OA 1485	1874.012	0.5	0.094
28			करतला	रामपुर	नारंगी वन	OA 1470	3355.904	0.5	0.168
29			करतला	रामपुर	नारंगी वन	OA 1471	210.749	0.5	0.011
30			करतला	सण्डैल	नारंगी वन	OA 1504	3283.555	0.5	0.159
31			करतला	चोरभट्टी	नारंगी वन	OA 1439	1289.023	0.5	0.064
32			करतला	चोरभट्टी	नारंगी वन	OA 1462	1489.165	0.5	0.074
33			करतला	नोनबिरा	नारंगी वन	OA 1304	781.644	0.5	0.039
34			करतला	नोनबिरा	नारंगी वन	OA 1305	1471.513	0.5	0.074
35			करतला	नोनबिरा	नारंगी वन	OA 1456	1739.176	0.5	0.087
36			करतला	नोनबिरा	नारंगी वन	OA 1457	413.412	0.5	0.021
37			करतला	नोनबिरा	नारंगी वन	OA 1458	2110.810	0.5	0.105
38			करतला	और्राई	नारंगी वन	OA 1489	222.099	0.5	0.011
39			करतला	और्राई	नारंगी वन	OA 1490	457.876	0.5	0.023
40			करतला	लबेद	नारंगी वन	OA 1495	511.606	0.5	0.026
41			कोरबा	भैसमा	नारंगी वन	OA 1302	1266.127	0.5	0.063
42			कुदमुरा	कुदमुरा	नारंगी वन	OA 1424	684.961	0.5	0.034
43			कुदमुरा	कुदमुरा	नारंगी वन	OA 1425	447.595	0.5	0.022
44			कुदमुरा	चचिया	नारंगी वन	OA 1429	949.733	0.5	0.048
नारंगी वनभूमि का योग-							<b>30532.012</b>	<b>0.5</b>	<b>1.531</b>
क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	कोरबा	कोरबा	करतला	चारमार	राजस्व वन	511	52.910	0.5	0.003
2			करतला	मदवानी	राजस्व वन	363	53.502	0.5	0.003
3			करतला	मदवानी	राजस्व वन	364	25.878	0.5	0.001
4			करतला	नोनदरहा	राजस्व वन	648	99.423	0.5	0.005
5			करतला	रामपुर	राजस्व वन	434	226.936	0.5	0.011
6			करतला	रामपुर	राजस्व वन	10	302.199	0.5	0.015
7			करतला	रामपुर	राजस्व वन	750/1	232.646	0.5	0.012
8			करतला	बोतली	राजस्व वन	644/1	130.520	0.5	0.007
9			करतला	टैगनमार	राजस्व वन	423	1163.787	0.5	0.056
10			करतला	करतला	राजस्व वन	1224	158.797	0.5	0.008

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
11	कोरबा	कोरबा	करतला	करतला	राजस्व वन	595	364.209	0.5	0.018
12			करतला	कोटमेर	राजस्व वन	45/1	510.504	0.5	0.026
13			करतला	कोटमेर	राजस्व वन	846	259.889	0.5	0.013
14			करतला	नोनबिरा	राजस्व वन	359	451.865	0.5	0.023
15			करतला	डोंगाआमा	राजस्व वन	1/1	737.809	0.5	0.037
16			करतला	कनकी	राजस्व वन	1606	475.851	0.5	0.024
17			करतला	सुपातराई	राजस्व वन	80	158.159	0.5	0.008
18			करतला	चिकनीपाली	राजस्व वन	2/1	209.140	0.5	0.010
19			करतला	चिकनीपाली	राजस्व वन	441/1	127.242	0.5	0.006
20			करतला	चिकनीपाली	राजस्व वन	65/1	120.395	0.5	0.006
21			करतला	चिकनीपाली	राजस्व वन	65/2	175.682	0.5	0.009
22			करतला	चिकनीपाली	राजस्व वन	89/1	154.537	0.5	0.008
23			करतला	औराई	राजस्व वन	419	279.815	0.5	0.014
24			करतला	औराई	राजस्व वन	470	1184.961	0.5	0.059
25			करतला	औराई	राजस्व वन	7	353.286	0.5	0.018
26			करतला	केर्वाद्वारी	राजस्व वन	420	355.078	0.5	0.018
27			करतला	सेन्द्रीपाली	राजस्व वन	543	1105.207	0.5	0.055
राजस्व वनभूमि का योग-							<b>9470.227</b>	<b>0.5</b>	<b>0.473</b>
कुल योग-							<b>80852.629</b> <b>(80.852 K.M.)</b>	<b>0.5</b>	<b>4.043</b>

उक्त 80.852 कि.मी. लंबे तथा 0.5 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 4.043 हे. वन भूमि (संरक्षित वन भूमि 2.039 हे. नारंगी वन भूमि 1.531 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.473 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।
4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।
5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।
6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।
7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा ।

*Signature*

8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।
9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।
13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।
14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार,

*K. J. Singh*

(के.पी.राजपूत) 23.2.21

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/02/2021

पृष्ठांक/एफ-5-03/2021/10-2

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, छत्तीसगढ़।
4. वनमंडलाधिकारी, कोरबा वनमंडल छत्तीसगढ़।
5. आवेदनकर्ता, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*K. J. Singh*

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग